भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो **कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,** 'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी **नीमच** (म.प्र.) 458441		Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics ***O/o the Deputy Narcotics Commissioner,*** "Narcotics House", **Neemuch (M.P.)** 458 441

\EPABX-07423-223030 Gram- Afeem FAX- 07423-227106/220077 e-mail : dncneemuch@gmail.com

F.No. I(22)6/Adm./2013 Date: 20.02.2013

विज्ञप्ति

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के विभिन्न तौल केन्द्रों जैसे नीमच, मनासा, सिंगोली, मन्दसौर, सीतामऊ, जावरा, दूधाखेडी इत्यादि पर माह अप्रैल 2013 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल 2013 के तृतीय सप्ताह तक अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें अफीम के तौल कार्य में प्रयोग होने वाले बैलेंसों के रख–रखाव हेतु निविदाएं आंमत्रित की जानी है। प्रत्येक तौल केन्द्र पर 4 प्लेटफार्म बैंलेंस तथा 3 प्रेसीजन बैंलेसं का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है। बैंलेंसो का विवरण निम्न है :–

S.No.	Name of equipments	Specifications
1	Precision electronic balance	Capacity - 120 grams Accuracy - 1 miligram
2	Precision electronic balance (Make Contech)	Capacity - 120 grams Accuracy - 10 miligram
3	Plax TP Electronic Weighing Scale PL size 500X500 mm with Printer	Capacity - 40 Kgs. Accuracy - 10 grams.
4	Platform Balance (Make Contech)	Capacity - 40 Kgs. Accuracy - 10 grams.

नियम एवं शर्तें

1. सभी बैलेंस मय प्रिन्टर बैलेंस विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच –I/II, मन्दसौर– I / II / III, जावरा – I / II एवं गरोठ खण्ड में रखे है, जिन्हे निविदादाता जांच कर मरम्मत करेगा। इस कार्य हेतु निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालय में सुबह 09:30 बजे से 18:00 बजे तक जा सकते है।
2. उक्त सभी बैलेंस अफीम तौल कार्य हेतु विभिन्न आठ अफीम तौल केन्द्रों पर जायेगें। समस्त बैलेंसों तथा प्रिन्टरो की मरम्मत, रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बैंलेंस एवं प्रिन्टर की मरम्मत में लगने वाले पार्टस भी निविदादाता द्वारा ही लगाए जाएगें। समस्त बैलेंसो मय प्रिन्टर को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी ।
3. निविदादाता को प्रति बैलेंस के रख–रखाव मय पार्टस एवं सभी उपकरण संसोधनो को सम्मिलित करते हुए देनी होगी, जिस पर "अफीम तौल कार्य हेतु बैलेंस की निविदा" अंकित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के कर (tax) का विवरण अलग से देना होगा।
4. तौल कार्य के दौरान प्रत्येक तौल केन्द्र पर निविदादाता को दो प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें, जो बैलेंसों का रख–रखाव कर सके एवं प्रिन्ट निकाल सकें। प्रशिक्षित कर्मचारी की दर निविदा में अलग से बताई जाए।
5. सभी बैलेंसों का सत्यापन सर्टिफिकेट राज्य तौल विभाग से दिनांक 26.03.2013 तक कराकर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देना होगा, जिनका भुगतान राज्य तौल विभाग के मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. सील्ड निविदा दिनांक 05.03.2013 को 18:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए। निविदा दिनांक 06.03.2013 को 11:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

7. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रू. 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार) मात्र का ड्राफ्ट जो अधीक्षक कार्यपालक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।

8. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटोती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।

10. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।

11. सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

12. उक्त निविदा इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से
(सीताराम शर्मा),
उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, कोटा को सूचनार्थ।
3. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)